

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- १९०/२०१८

साधु बनाम नाथु

दिनांक आज ज कार्रवाई	आज्ञा विस्तृत रूप से .	विरोध विवरण
२५/१०/२५	<p>पत्राचार के माध्यम से उपरोक्त वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवेदन को वापस करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक नंबर के माध्यम से ही किया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत दावा खारिज किया जाता है।</p>	
	<p>पत्राचार के माध्यम से उपरोक्त वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवेदन को वापस करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक नंबर के माध्यम से ही किया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत दावा खारिज किया जाता है।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	